कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक 2015 /2-6 देवरिया, दिनांक, फरवरी 25/2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :– **जनपद–देवरिया में सोनौली–बलिया मार्ग (एस0एच0–1) के कि0मी0 153 से 154 के मध्य ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तहसील–सदर, जनपद–देवरिया में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।**

संदर्भ :– आपके कार्यालय के पत्र संख्या–1819/2–6, दिनांक 13.01.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या–1964/2–6, दिनांक 20.02.2023 द्वारा प्रेषित की गयी है। उल्लेखनीय है कि विषयगत प्रस्ताव से सम्बन्धित सूचना भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ के पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/46/2017/एफ0सी/296 दिनांक 27.07.2022 द्वारा मांगी गयी आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या–751/2–6, दिनांक 26.09.2022 द्वारा मय संलग्नक सहित भेजी जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी आख्या अन्य रेंज के पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित है जिसकी आख्या अलग से प्रेषित की जायेगी। विषयगत प्रस्ताव में जिलाधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रस्ताव की आख्या भारत सरकार द्वारा मांगी गयी आख्या के कम में उच्च स्तर को भेजने की कृपा करें, ताकि विषयगत प्रस्ताव में स्वीकृति हेतु उच्च स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

<u>संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

R. Jagdeesh

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

/DM.BABU

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया

संख्या / 186 (i) / शस्त्र-2015 दिनांक 29 अप्रैल 2015

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

डिविजनल मैनेजर एस्सार आयल एण्ड गैस लि० डीएस 1/1 अर्बन कम्पलेक्स, सिगरा, वाराणसी 221010 द्वारा ए०ओ०सी० हेतु रिटेल आउटलेट ग्राम अहिलवार बुजुर्ग, तहसील व जिला देवरिया में प्लाट सं० 547 मि० में रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल पम्प) के स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक देवरिया, उप जिला मजिस्ट्रेट सदर देवरिया, अधिशासी अभियन्ता (निर्माण खण्ड) लोक निर्माण विभाग, देवरिया, अग्नि शमन अधिकारी, देवरिया, जिला पूर्ति अधिकारी, देवरिया, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, देवरिया से आख्या / अनापत्ति आहूत की गयी है।

1 उप जिला मजिस्ट्रेट देवरिया द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 1337 / आर०नि०-2015 दिनांक 11 मार्च 2015 के साथ संलग्न तहसीलदार देवरिया की आख्या दिनांक 27.02.15 के स्थलीय निरीक्षण के अनुसार ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग के खतौनी खाता संख्या 182 में आराजी संख्या 547 मि०/0.215 हे० में रमेश व राजेश पुत्रगण सुरेन्द्र निवासी ग्राम दानोपुर के नाम से दर्ज है। उक्त आराजी के भू-भाग 35X35 वर्ग मीटर अर्थात 175X175 कड़ी भूमि विश्वभारती जायसवाल पत्नी रमेश जायसवाल के नाम 29 वर्ष 11 माह का एग्रीमेन्ट रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु निष्पादित किया गया है, जो दिनांक 06.01.15 को पंजीकृत है। प्रश्नगत भूमि तक मार्ग उपलब्ध है। भूमि के ऊपर से कोई हाईटेंशन तार नही गया है। प्रश्नगत रिटेल आउटलेट की स्थापना में कोई ग्रामसभा अथवा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही हो रहा है। उक्त भूमि के बाबत कोई विवाद नही है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रस्तावित भूमि के बारे में कोई विपरीत तथ्य परिलक्षित नही है। स्थलों का नजरी नक्शा व पंजीकृत पट्टा की छायाप्रति संलग्न है। दृष्टिचित्र में यह भी यह भी अंकित किया गया है कि सह खातेदारों का कोई आपत्ति नही है। संलग्न मानचित्र पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

2. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर देवरिया की आख्या दिनांक 19.02.2015 के अनुसार ग्राम अहिलवार बुजुर्ग, तहसील देवरिया थाना कोतवाली जनपद देवरिया में प्लाट नं० 547 मि० में रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल तथ्य न पाये जाने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की संस्तुति की गयी है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर की आख्या पर ही क्षेत्राधिकारी सदर व पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा दिनांक 05.03.2015 को संस्तुति सहित पेट्रोल पम्प के लिये अनापत्ति प्रस्तुत की गयी है।

3 अधिशासी अभियन्ता (निर्माण खण्ड) लोक निर्माण विभाग, देवरिया के पत्रांक 482 / 1 सी / 2014-15 दिनांक 28.02.2015 द्वारा ग्राम अहिलवार बुजुर्ग, तहसील व जिला देवरिया में स्थित गाटा संख्या 547 मि० में श्रीमती विश्वभारती जायसवाल पत्नी श्री रमेश जायसवाल सा० अहिलवार बुजुर्ग के नाम से सोनौली-नौतनवा-गोरखपुर-देवरिया-बलिया मार्ग (मार्ग संख्या-1) के किमी० 154 (चैनज 154.600 मी०) पर मार्ग के दाये तरफ रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु मुख्य अभियन्ता गोरखपुर क्षेत्र लोक निर्माण विभाग गोरखपुर के पत्रांक 3008 / 132 पे०पं०-गो०क्षे० / 15 दिनांक 26.02.2015 एवं अधीक्षण अभियन्ता देवरिया वृत्त लोक निर्माण विभाग देवरिया के पत्रांक 489(1) / 3 मात (1)-दे०वृत्त / 15 दिनांक 26.02.2015 के अनुमोदनोपरान्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया गया है।

(1) प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल पम्प) की स्थापना सोनौली-नौतनवा-गोरखपुर-देवरिया-बलिया मार्ग (राजमार्ग संख्या-1) के किमी० 154 (चैनेज 153.600 मी०) पर मार्ग के दाये तरफ ग्राम / मौजा अहिलवार बुजुर्ग, तहसील व जिला देवरिया में स्थित गाटा संख्या 547 में सड़क के मध्य से 75 फीट के बाहर किया जायेगा।

2 पेट्रोलपम्प तक पहुंच मार्ग के रूप में प्रयोग की जाने वाली भूमि का एग्रीमेन्ट विभाग से कराना अनिवार्य होगा।

3 प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार बफर स्ट्रीप का निर्माण सड़क के मध्य से 75 फीट के बाहर ही करना होगा।

(क्रमशः ...2)

Scanned with C

4. भूमि का सत्यापन राजस्व विभाग से कराना अनिवार्य होगा।
5. पानी निकासी हेतु पुलिया का निर्माण आई0आर0सी0 1981 के अनुरुप प्रार्थी को स्वयं कराना होगा।
6. अग्नि शमन अधिकारी, देवरिया से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।
7. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) की भूमि की सतह लो0नि0वि0 के मार्ग की सतह से 6 इंच नीचा होगा तथा किसी भी परिस्थिति में सड़क पर जल–जमाव रिटेल आउटलेट से नही होना सुनिश्चित करेंगे।
8. रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प के निर्माण समय कोई भी सामग्री मार्ग की पटरी पर नही रखना होगा।
9. रिटेल आउटलेट पेट्रोलपम्प का निर्माण चेकलिस्ट के अनुसार होगा।

4. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, गोरखपुर की अनापत्ति पत्र संख्या UID No. 2015/2294/DOA/DEORIA/51/DD/64 दिनांक 19.02.2015 के अनुसार ग्राम अहिलवार बुजुर्ग, तहसील व जिला देवरिया में प्लाट संख्या 547 पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) पम्प की स्थापना हेतु स्थलीय निरीक्षण अग्नि शमन अधिकारी देवरिया द्वारा कराया गया तो प्राप्त आख्यानुसार कोई आपत्तियुक्त तथ्य प्रकाश में नही आये। आख्या का विवरण निम्न प्रकार है।

1. प्रस्तावित स्थल देवरिया–सलेमपुर मार्ग–अहिलवार बुजुर्ग, थाना–खुखुन्दू मुख्य मार्ग के पास स्थित है जहां पर फायर सर्विस के वाहन सुगमता पूर्वक आवागमन कर सकते हैं।
2. प्रस्तावित स्थल के आस–पास केमिकल विस्फोटक, इलेक्ट्रिकल अथवा ज्वलनशील पदार्थ का कोई दुकान या गोदाम नही है।
3. प्रस्तावित स्थल से 100 मीटर की दूरी पर बिजली के पोल व तार स्थित हैं।
4. डीजल पम्प संचालन से पूर्व निम्न अग्नि शमन पद्यति/सुरक्षा का अधिष्ठापन कराया जाना अनिवार्य है।

प्रस्तावित अग्निशमन पद्धतिया –

1. उक्त प्लाट में सभी विद्युत वायरिंग फ्लेश प्रुफ की जाये।
2. कार्बन डाई आक्साइड, फायर एक्सटिंग्यूसर क्षमता 4.5 किग्रा0–2 अदद
3. डी0सी0पी0 फायर एक्सटिंग्यूसर क्षमता 10 किग्रा0–02 अदद
4. ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूसर क्षमता 09 किग्रा0–02 अदद तथा ट्राली 75 किग्रा0–01 अदद।
5. फायर बकेट मय स्टैण्ट 6 के सेट में दो सेट की व्यवस्था।
6. 01 अदद वाटर जेल ब्लैकेट रखा जाय।
7. बालू का स्टाक 6 X 4 X 2 घन फिट रखा जाये।
8. धूम्रपान निषेध बोर्ड रखा जाये।
9. आपातकालीन सेवाओं का टेलीफोन नम्बर रखा जाये।
10. पूरे परिसर में कोई भी ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाईन किसी भी दशा में न लगाया जाये।
11. डीजल भण्डारण स्थल के सभी निर्माण व कार्य एन0बी0सी0 2005 के अनुरुप व उपकरण पेट्रोलियम रुल्स 1976 तथा तत्संशोधन 2002 ओ0आई0एस0डी0 225 के अनुरुप होना चाहिए।
12. अग्निशमन व्यवस्था का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष अपरिहार्य रुप से करायें।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाएं डीजल/पेट्रोल पम्प संचालन करने से पहले अवगत कराकर स्थापित अग्नि पद्यति तथा सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कराकर तथा कर्मचारियों को फायर उपकरण चलाने का प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। तथा पेट्रोलियम एक्ट 1934 रुल्स 1976 संशोधित 2002 व आई0ओ0एस0डी0 225 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 में दिये गये निर्देशों का पालन करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक का होगा। उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र की आख्या संस्तुति की गयी है। उपरोक्त अधिनियम/नियमों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने की दशा में यह संस्तुति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

5. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड देवरिया की अनापत्ति पत्रांक 360/वि0वि0ख0/दे0 दिनांक 11.02.2015 में उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित प्लाट नं0 547 मि0 के समीप

(क्रमशः ...3)

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

पत्रांक 2964 / 2-6 देवरिया, दिनांक, मार्च, 31, 2015

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी शस्त्र
देवरिया ।

विषय :– ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तहसील व जिला–देवरिया के प्लाट नम्बर–547 मि0 मे रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु जांच आख्या ।

सन्दर्भ :– आपके कार्यालय के पत्रांक 65 (6)/शस्त्र–2015 दिनांक 09.02.2015 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग तहसील व जिला–देवरिया के प्लाट नं0 547 मि0 में रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति आख्या मांग की गयी है। इस कम में क्षेत्रीय वन अधिकारी बहरज से जांच करायी गयी जिसकी आख्या निम्न प्रकार है।

1. लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 482/1–सी/2014–15 दिनांक 28.02.2015 के अनुसार सोनौली–बलिया मार्ग एस0एच–1 के कि0मी0 153–154 के मध्य स्थित पेट्रोल पम्प के ले आउट प्लान पी0डब्लू0डी0 सड़क के मध्य सीमा से 75 फुट मानकर प्रस्तावित है जो संरक्षित वन भूमि है।
2. पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकासी मार्ग हेतु अवागमन के लिए संरक्षित वन भूमि 22.86 मीटर लम्बाई तथा 35.00 मीटर चौड़ाई कुल क्षेत्रफल 800.1 वर्ग मीटर एप्रोच मार्ग हेतु गैर वानिकी कार्य मे प्रयोग किया जायेगा।
3. चूंकि संरक्षित वन क्षेत्र का गैर वानिकी प्रयोग किया जाना प्रस्ताावित है इस लिये मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 278/आन लाइन दिनांक 29.08.2014 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में उपरोक्तानुसार एजेन्सी द्वारा स्वयं प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को आन लाइन प्रेषित किया जायेगा। उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

अतः जांच आख्या रिपोर्ट सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रत्नेश श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

E:/Rajesh/D.M. Babu

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 278 / Online-submission, दिनांक लखनऊ, अगस्त 29, 2014

सेवा में,

1– समस्त मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उत्तर प्रदेश।

विषय: Web Portal for Online submission and monitoring of Forest Clearance Proposals.

महोदय,

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 15.08.2014 से नवीन ऑन लाइन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक कोई नवीन प्रस्ताव अपने स्तर पर सीधे प्राप्त नहीं करेंगे। प्रयोक्ता एजेंसी स्वयं प्रस्ताव Online-submit करेगी जिसे नवीन [illegible] के [illegible] भारत सरकार प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक 15.08.14 से पूर्व प्राप्त प्रस्ताव, जो विभिन्न स्तरों पर आपत्तियों के कारण विचाराधीन थे, ऐसे प्रस्तावों का पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से Online data entry [illegible] के माध्यम से [illegible] को प्रेषित किया जायेगा। प्रभागीय निदेशक कार्यालय में ऐसे प्रस्तावों के प्राप्त होने की तिथि अनिवार्य रूप से दि0 15.08.14 से पूर्व की होनी चाहिए।

इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के एन0आई0सी0 प्रभारी श्री आर0के0पाठक के मोबाइल नं0 09871226271 पर अथवा ई-मेल rkpathak@nic.in के माध्यम से सम्पर्क कर समस्या का निदान कर सकते हैं।

भवदीय,

(एन0के0द्विवेदी)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

R.K. pathak – 09871226271 सम्पर्क करें

पत्रांक जे0/ 5-8-3 दिनांक 5/9/2014 /

प्रतिलिपि:- समस्त [illegible] को [illegible] सूचनार्थ एवं आ0 का0 हेतु प्रेषित है।

[illegible]